उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-717/ग्यारह-2-24-9(47)/17-टी.सी.256-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(322)-2024

लखनऊः दिनांकः 03 सितम्बर, 2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल,परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-836/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0- 1-2017-आदेश-(06)-2017 दिनांक 30.06.2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करते है, अथात् :-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची दो में-6%,-

(एक) क्रम संख्या 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :-

"121क	4819 10,4819 20	कार्टन, बॉक्स और केस जो कि- (क) नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; अथवा (ख) गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड से बने हों";

(दो) क्रम संख्या 180 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :-

"180क	7310,7323,7612,या 7615	लोहा, इस्पात या एल्यूमीनियम से बने दूध के कैन";

(तीन) क्रम संख्या 183और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :-

"183क	7321 या 8516	सोलर कुकर";

(चार) क्रम संख्या 199 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द "शावकित्र" के पश्चात शब्द और प्रतीक "उनके पुर्जे" बढ़ा दिये जाएंगे;

(ख) अनुसूची तीन में-9%,-

(एक) क्रम संख्या 153क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रख दी जाएंगी, अर्थात् :-

"153क	4819(4819 10,4819 20 को छोड़कर)	समस्त वस्तुएं (कार्टन, बॉक्स और केस जो कि- क. नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; अथवा ख. गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड से बने हों, से भिन्न)"

(दो) क्रम संख्या 224 के समक्ष, शब्द "उपस्कर" के पश्चात् शब्द और प्रतीक, "लोहा या इस्पात से बने दूध के कैन से भिन्न" बढ़ा दिये जायेंगे।

(तीन) शब्द "लोहा या इस्पात के वुड बर्निंग स्टोव" शब्द, "लोहा या इस्पात के वुड बर्निंग स्टोव और

सोलर कूकर" रख दिए जाएंगे।

(चार) क्रम संख्या 273 के समक्ष, शब्द "बॉक्स आदि" के पश्चात शब्द और प्रतीक "एल्यूमीनियम से बने दूध के कैन से भिन्न" बढ़ा दिए जाएंगे;

(पॉच) क्रम संख्या 275क के समक्ष, शब्दों "बर्तनों" के पश्चात शब्द और प्रतीक "एल्यूमीनियम से बने दूध के कैन" बढ़ा दिए जाएंगे;

(छह) क्रम संख्या 378क के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द और प्रतीक "घरेलू प्रयोजनों" के स्थान पर शब्द, प्रतीक और कोष्ठक "घरेलू प्रयोजनों (सौर कुकर से भिन्न)" रख दिए जाएंगे।

(ग) अनुसूची सात के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (दो) में, उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2010) और समय-समय पर यथासंशोधित, तद्धीन बनाये गये नियमों, में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाले वस्तुओं के पैकेज (पैकेजों) में कृषि फार्म उपज की पूर्ति को 'प्री-पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश के भीतर की गयी पूर्ति के रूप में नहीं माना जायेगा।"।

2. यह अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त हुयी समझी जाएगी ।

आज्ञा से,

Signed by
M Devaraj
Date: [illegible]3:26

(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव ।